फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री मोतीलाल गदिया, केसरिया जनरल स्टोर, महावीर चौक, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडीसादडी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 31/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.03.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री मोतीलाल गदिया, केसरिया जनरल स्टोर, महावीर चौक, बडीसादडी ने सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 09.02.2018 एवं 12.02.2018 को रजिस्टर्ड ड़ाक से आवेदन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडीसादडी के यहां प्रेषित किये। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडीसादडी द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदनों से चाही गई सूचना समय पर उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडीसादडी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नही आते है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बडीसादडी लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष, नगर पालिका, बडीसादडी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	